भारत संघ एवं अन्य

बनाम

एस. धर्मलिंगम

28 अक्टूबर, 1993

[कुलदीप सिंह एवं एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति]

सेवा विधि

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972

नियम 3(क्यू), 13, 26(2), 30(1) — अधिवार्षिकी पेंशन — विशेष परिस्थितियों में 'अर्हकारी सेवा' में वृद्धि — पात्रता — अभिनिर्धारित : नियम 30(1) का लाभ उस सेवा अथवा पद पर नियुक्त प्रत्येक सरकारी सेवक को उपलब्ध है जिसका उल्लेख नियम 30(1) में किया गया है, चाहे वह ऐसी नियुक्ति से पूर्व पहले से सरकारी सेवा में रहा हो अथवा नहीं।

उत्तरदाता 8 मई 1956 से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में अन्वेषक के पद पर नियुक्त था। वह उक्त पद पर 16 मई 1960 तक कार्यरत रहा, जब उसे प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा श्रम पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। उत्तरदाता अगस्त 1985 में सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। यद्यपि 8 मई 1956 से 16 मई 1960 तक उसके द्वारा की गई सेवा अवधि को उसकी अर्हकारी सेवा में सम्मिलित किया गया, तथापि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत अर्हकारी सेवा में अतिरिक्त वृद्धि का उसका दावा स्वीकार नहीं किया गया। इसके विरुद्ध उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसका दावा स्वीकार कर लिया।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि— नियम 30 केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ कोई व्यक्ति पहली बार नियम 30 में उल्लिखित

सेवा या पद पर सरकारी सेवा में प्रवेश करता है; यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो पहले से सरकारी सेवा में हो और बाद में नियम 30 में उल्लिखित सेवा या पद पर नियुक्त किया जाए; यदि ऐसे व्यक्ति को नियम 30 का लाभ दिया जाए तो उसे अर्हकारी सेवा की गणना में दोहरा लाभ प्राप्त होगा, जिसकी नियम 30 में कल्पना नहीं की गई है।

अपील निरस्त करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

अभिनिर्धारित:1.1 केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत अर्हकारी सेवा में वृद्धि का लाभ प्रत्येक ऐसे सरकारी सेवक को उपलब्ध है जिसे 31 मार्च 1960 के पश्चात् नियम 30(1) में उल्लिखित किसी सेवा या पद पर नियुक्त किया गया हो, चाहे वह उस नियुक्ति के समय पहले से सरकारी सेवा में रहा हो अथवा पहली बार सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहा हो। [450-ए-बी]

1.2 नियम 30(1) का उद्देश्य उस सरकारी सेवक को अर्हकारी सेवा में वृद्धि का लाभ प्रदान करना है जिसे 31 मार्च 1960 के पश्चात् ऐसे सेवा या पद पर नियुक्त किया गया हो जो नियम 30(1) के खंड (क) और (ख) में वर्णित शर्तों को पूरा करता हो। किन्तु यह लाभ निम्न में से जो कम हो, उसी तक सीमित है— उसकी वास्तविक सेवा अवधि का एक-चौथाई, नियम 30 में उल्लिखित सेवा अथवा पद की वास्तविक सेवा अवधि का एक-चौथाई, भर्ती के समय उसकी आयु 25 वर्ष से जितनी अधिक थी उतनी अवधि, अथवा पाँच वर्ष। यह दर्शाता है कि उक्त प्रावधान का उद्देश्य उस समय की क्षतिपूर्ति करना है जो किसी व्यक्ति ने उस अतिरिक्त योग्यता अथवा अनुभव को प्राप्त करने में लगाया हो जो उस सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति के साथ, जो उक्त नियुक्ति के समय पहले से सरकारी सेवा में था, भिन्न व्यवहार करने तथा उसे वह लाभ न देने का कोई औचित्य नहीं है जो उस व्यक्ति को उपलब्ध है

जो उस समय सरकारी सेवा में नहीं था। नियम 30 में प्रयुक्त भाषा ऐसा कोई भेदभावपूर्ण अंतर स्थापित नहीं करती। [450-सी, ई-एच, 451-बी]

1.3 उत्तरदाता को दोहरा लाभ प्राप्त नहीं होगा केवल इस कारण कि 8 मई 1956 से 16 मई 1960 तक की उसकी पूर्व सेवा अवधि को नियम 3(क्यू) में परिभाषित उसकी 'अर्हकारी सेवा' के भाग के रूप में गिना गया है। [451-ई]

1.4 केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 3(क्यू), 13, 26(2) तथा 30 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता द्वारा 8 मई 1956 से 16 मई 1960 तक की गई सेवा को उसकी अर्हकारी सेवा का भाग माना जाएगा। इसके विपरीत कोई नियम न होने के कारण इस अवधि को उत्तरदाता की अर्हकारी सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता। [452-सी-डी]

दीवानी अपीलीय अधिकारिता : 1993 की दीवानी अपील संख्या 503

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ द्वारा मूल आवेदन संख्या 182/1987 में दिनांक 12.07.1988 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ताओं की ओर से : वी.सी. महाजन, सुश्री निरंजन सिंह, अनिल कटियार तथा सी.वी.एस. राव।

उत्तरदाता की ओर से : के.के. वेणुगोपाल तथा प्रमोद दयाल।

न्यायालय का निर्णय एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया।

एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति - यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, इस प्रश्न को उठाती है कि क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (जिसे आगे "नियम" कहा गया है) के

नियम 30 के अंतर्गत अर्हकारी सेवा में वृद्धि का लाभ उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है जो उस सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के समय पहले से ही सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत था।

उत्तरदाता 8 मई 1956 से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में अन्वेषक के पद पर कार्यरत था। उक्त पद पर कार्य करते हुए उसका चयन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा श्रम पदाधिकारी के पद के लिए हुआ और वह 16 मई 1960 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। उत्तरदाता अगस्त 1985 में सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। 8 मई 1956 से 16 मई 1960 तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में अन्वेषक के रूप में की गई उसकी सेवा अवधि को उसकी अर्हकारी सेवा में सम्मिलित कर लिया गया। किन्तु उसने नियम 30 के अंतर्गत अर्हकारी सेवा में अतिरिक्त वृद्धि का भी दावा किया। यह दावा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जिसके पश्चात् उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (संक्षेप में "अधिकरण") का दरवाजा खटखटाया। उत्तरदाता का उक्त आवेदन अधिकरण द्वारा 12 जुलाई 1988 के आदेश से स्वीकार कर लिया गया। अधिकरण ने अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि नियम 30(1) के अंतर्गत अनुमेय गणना के अनुसार उत्तरदाता को उसकी अर्हकारी सेवा में अतिरिक्त वर्षों का लाभ प्रदान किया जाए। अधिकरण के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है। संबंधित समय पर नियम 30(1) इस प्रकार था :

"30. विशेष परिस्थितियों में अर्हकारी सेवा में वृद्धि

(1) 31 मार्च 1960 के पश्चात् किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त सरकारी सेवक अपनी अधिवार्षिकी पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा में (किन्तु अन्य किसी प्रकार की पेंशन के लिए नहीं) निम्नलिखित में से जो कम हो, उतनी अवधि जोड़ने का पात्र होगा— उसकी वास्तविक सेवा अवधि का एक-चौथाई, भर्ती के समय उसकी आयु 25 वर्ष से जितनी अधिक थी उतनी अवधि,

अथवा पाँच वर्ष, यदि वह सेवा अथवा पद, जिस पर सरकारी सेवक नियुक्त किया गया है, ऐसा हो—

(क) जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान अथवा वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में विशेषज्ञ योग्यता अथवा अनुभव आवश्यक हो; तथा

(ख) जिस पर सामान्यतः 25 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों की भर्ती की जाती हो :

परंतु यह रियायत किसी सरकारी सेवक को तब तक देय नहीं होगी जब तक कि सरकारी सेवा छोड़ते समय उसकी वास्तविक अर्हकारी सेवा दस वर्ष से कम न हो।

परंतु यह भी कि यह रियायत तभी उपलब्ध होगी जब संबंधित सेवा अथवा पद के भर्ती नियमों में यह विशेष उपबंध हो कि उक्त सेवा अथवा पद इस नियम का लाभ वहन करता है।"

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.सी. महाजन ने तर्क दिया कि नियम 30 केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ कोई सरकारी सेवक पहली बार उसी सेवा या पद पर सरकारी सेवा में प्रवेश करता है जिसका उल्लेख उक्त नियम में किया गया है। उनका कहना था कि यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो पहले से सरकारी सेवा में हो और सरकारी सेवक रहते हुए नियम 30 में वर्णित सेवा या पद पर नियुक्त किया गया हो। श्री महाजन का यह भी तर्क था कि यदि नियम 30 का लाभ ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो उस नियुक्ति से पूर्व ही सरकारी सेवा में था, तो उसे अर्हकारी सेवा की गणना में **दोहरा लाभ** प्राप्त होगा, जबकि नियम 30 में ऐसी किसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की गई है।

उत्तरदाता, समुचित तामील के बावजूद, उपस्थित नहीं हुआ। चूँकि नियम 30(1) की व्याख्या से संबंधित यह प्रश्न बड़ी संख्या में व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति से अनुरोध किया गया कि वह न्यायालय की

सहायता के लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को नामित करे। उक्त अनुरोध के अनुपालन में श्री **के.के. वेणुगोपाल** उपस्थित हुए और न्यायालय के समक्ष अपने निवेदन प्रस्तुत किए।

श्री वेणुगोपाल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि नियम 30 के अंतर्गत अर्हकारी सेवा में वृद्धि का लाभ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध है जिसे 31 मार्च 1960 के पश्चात् किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त किया गया हो, बशर्ते कि नियम 30(1) के खंड (क) और (ख) में निर्धारित शर्तें पूर्ण होती हों। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त नियम की प्रयोज्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कर्मचारी पहली बार सरकारी सेवा में नियुक्त हुआ है या नहीं। श्री वेणुगोपाल ने आगे तर्क दिया कि जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवक है और बाद में नियम 30(1) में उल्लिखित किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त होता है, उसके द्वारा किसी प्रकार का दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह केवल वही अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है जो नियम 30(1) में वर्णित शर्तों को पूरा करने वाले सभी सरकारी सेवकों को उपलब्ध है।

नियम 30(1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य ऐसे सरकारी सेवक को अर्हकारी सेवा में वृद्धि का लाभ प्रदान करना है जिसे 31 मार्च 1960 के पश्चात् ऐसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त किया गया हो जो नियम 30(1) के खंड (क) और (ख) में वर्णित शर्तों को पूरा करता हो। खंड (क) यह अपेक्षा करता है कि सेवा अथवा पद ऐसा हो जिसके लिए वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अनुसंधान, विशेषज्ञ योग्यता अथवा अनुभव आवश्यक हो। खंड (ख) यह उपबंधित करता है कि उक्त सेवा अथवा पद ऐसा हो जिस पर सामान्यतः 25 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों की भर्ती की जाती हो। यद्यपि अर्हकारी सेवा में वृद्धि का यह लाभ निम्नलिखित में से जो कम हो, उसी तक सीमित है— वास्तविक सेवा अवधि का एक-चौथाई, नियम 30 में उल्लिखित सेवा अथवा पद की सेवा अवधि का एक-चौथाई, भर्ती के समय आयु 25 वर्ष से जितनी अधिक थी उतनी अवधि, अथवा पाँच वर्ष। इससे यह स्पष्ट होता है कि

इस प्रावधान का उद्देश्य उस समय की क्षतिपूर्ति करना है जो किसी सरकारी सेवक ने उस अतिरिक्त योग्यता अथवा अनुभव को प्राप्त करने में लगाया हो जो उक्त सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है। यह लाभ उन सभी सरकारी सेवकों को उपलब्ध है जो नियम की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नियम 30(1) में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि यह लाभ उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगा जो उक्त सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के समय पहले से सरकारी सेवा में था। यदि यह माना जाए कि नियम 30 का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता जो पहले से सरकारी सेवा में था, तो इससे विसंगतिपूर्ण परिणाम उत्पन्न होंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में एक वर्ष कार्य करने के पश्चात् नियम 30(1) में वर्णित सेवा अथवा पद पर नियुक्त होता है, तो नियम 30 का लाभ न दिए जाने की स्थिति में उसे अपनी अर्हकारी सेवा में केवल एक वर्ष का लाभ मिलेगा; जबकि वही व्यक्ति यदि नियुक्ति के समय सरकारी सेवा में न होता, तो उसे अपनी अर्हकारी सेवा में पाँच वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि जोड़ने का लाभ प्राप्त हो सकता था। ऐसा कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता जिसके आधार पर उस व्यक्ति के साथ भिन्न व्यवहार किया जाए जो नियम 30 में उल्लिखित सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के समय पहले से सरकारी सेवा में था और उसे वह लाभ न दिया जाए जो उसी प्रकार नियुक्त अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। नियम 30 में प्रयुक्त भाषा भी ऐसा कोई भेदभावपूर्ण अंतर नहीं करती। अतः हमारे मत में नियम 30(1) के अंतर्गत अर्हकारी सेवा में वृद्धि का लाभ प्रत्येक ऐसे सरकारी सेवक को उपलब्ध है जिसे 31 मार्च 1960 के पश्चात् नियम 30(1) में उल्लिखित किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त किया गया हो, चाहे वह उस समय पहले से सरकारी सेवा में रहा हो अथवा पहली बार सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहा हो।

इसके पश्चात् श्री महाजन ने यह तर्क दिया कि यदि नियम 30(1) का लाभ उत्तरदाता को दिया भी जाए, तो वह केवल नियम 30(1) के अंतर्गत देय अवधि तक ही सीमित होना चाहिए

और 8 मई 1956 से 16 मई 1960 तक की उसकी पूर्व सरकारी सेवा अवधि को अर्हकारी सेवा से बाहर रखा जाना चाहिए; अन्यथा उत्तरदाता को दोहरा लाभ प्राप्त होगा। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। उत्तरदाता को किसी प्रकार का दोहरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि 8 मई 1956 से 16 मई 1960 तक की अवधि के दौरान वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में अन्वेषक के रूप में कार्यरत था और हमें ऐसा कोई नियम नहीं दिखाया गया है जिसके अंतर्गत उक्त अवधि को उसकी अर्हकारी सेवा का भाग न माना जाए। नियम 3(क्यू) में "अर्हकारी सेवा" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है— "ड्यूटी पर अथवा अन्यथा की गई वह सेवा जिसे इन नियमों के अंतर्गत देय पेंशन तथा उपदान के प्रयोजन से गणना में लिया जाएगा।" नियम 13, जो अर्हकारी सेवा के प्रारम्भ से संबंधित है, इस प्रकार उपबंधित करता है—

"13. अर्हकारी सेवा का प्रारम्भ

इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, किसी सरकारी सेवक की अर्हकारी सेवा उस तिथि से प्रारम्भ होगी जिस दिन वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर उसे पहली बार स्थायी, कार्यवाहक अथवा अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया हो: परंतु यह कि कार्यवाहक अथवा अस्थायी सेवा के पश्चात् बिना किसी व्यवधान के उसी या किसी अन्य सेवा अथवा पद पर स्थायी नियुक्ति हुई हो।"

इस संदर्भ में नियम 26 की उपधारा (2) का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो इस प्रकार है—

> "यदि त्यागपत्र उचित अनुमति प्राप्त कर सरकार के अधीन किसी अन्य अस्थायी अथवा स्थायी पद को ग्रहण करने के लिए दिया गया हो, जहाँ की सेवा अर्हकारी हो, तो ऐसे त्यागपत्र के कारण पूर्व सेवा का परित्याग नहीं माना जाएगा।"

उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि 8 मई 1956 से 16 मई 1960 तक की वह अवधि, जब उत्तरदाता राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में अन्वेषक के रूप में कार्यरत था, उसकी अर्हकारी सेवा का भाग मानी जाएगी। इस अवधि को केवल इस आधार पर उसकी अर्हकारी सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता कि उसे नियम 30(1) के अंतर्गत अर्हकारी सेवा में अतिरिक्त वृद्धि का लाभ भी प्राप्त हो रहा है।

अधिकरण ने सही रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि उत्तरदाता नियम 30(1) के अंतर्गत अपनी अर्हकारी सेवा में वृद्धि के लाभ का अधिकारी है। अतः अपील असफल होती है और तदनुसार निरस्त की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

आर.पी. अपील निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।